महत्वपूर्ण / शीघ्र
संख्या–735 / नौ–9–2022–60ज / 22

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **मिशन निदेशक,** स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **जिलाधिकारी,** लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या एवं गोरखपुर।
4. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2022**

विषयः–स्मार्ट सिटी मिशन में मिशन–टू–मूवमेन्ट की अवधारणा पर प्रदेश की 17 स्मार्ट सिटीज द्वारा कुल 102 स्थानीय निकायों के एडॉप्शन तथा मिशन के अन्तर्गत विभिन्न उत्कृष्ट / अभिनव परियोजनाओं को रिप्लीकेट किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि केन्द्रपुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों यथा–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर एवं मुरादाबाद तथा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों यथा–अयोध्या, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा–वृन्दावन एवं फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजीटलाइजेशन, सुशासन, विशेषतः ई–गवर्नेन्स और नागरिक भागीदारी, स्वच्छ पर्यावरण, विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। मिशन के अन्तर्गत एरिया बेस्ड डेवलेपमेन्ट तथा पैन सिटी में आधारभूत संरचनाओं व सॉफ्ट सॉल्युशन के प्रोजेक्ट वर्तमान में प्रचलित है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित 10 स्मार्ट सिटी की तरह ही प्रदेश में अभिनव प्रयोग करते हुए स्मार्ट सिटी के मिशन–टू–मूवमेन्ट की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश के अन्य 07 नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है।

2. प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों / शहरों में जन सामान्य हेतु विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं / अभिनव प्रयोगों को कुल 220 शहरों / निकायों में replicate किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें आगामी 05 वर्षों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रथम चरण में 102 नगरीय निकायों / शहरों (प्रति संलग्न) का चयन किया गया है। इन 102 नगरीय

A.K. @ Smart -go-20

निकायों/शहरों में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के विकास के लिए अभिनव प्रयोग वाली 07 विभिन्न परियोजनाओं यथा–स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट हेल्थ ए0टी0एम0, स्ट्रीट लाईट ऑटोमेशन, प्लेस मेकिंग, पब्लिक बाईसिकिल शेयरिंग एवं सोलर ट्री एण्ड स्मार्ट सोलर बेन्च की परियोजनाओं के replication हेतु tempelates आदि के निर्धारण के लिए समितियों का गठन कर दिया गया है।

3. प्रदेश के 220 नगरीय निकायों/शहरों में उक्त परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

3.1 प्रदेश के 220 शहरों/नगरीय निकायों को आगामी 05 वर्षों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में इन 220 नगरीय निकायों में से प्रथम चरण में 102 नगरीय निकायों को चिह्नित करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय द्वारा टी0एस0जी0 फर्म व केन्द्रपुरोनिधानित स्मार्ट सिटी के पी0एम0सी0 के माध्यम से निकायों की हैण्ड होल्डिंग व कैपासिटी बिल्डिंग कराते हुए परियोजनाओं का कियान्वयन किया जायेगा। इस प्रकार मिशन–टू–मूवमेन्ट (स्मार्ट सिटी) की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

3.2 प्रदेश के 102 नगरीय निकायों में उपर्युक्त परियोजनाओं का कियान्वयन Dovetailing/ Convergence के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.3 अमृत शहरों के नगर निकायों के लिए उक्त Convergence 60:40, अन्य नगरपालिका परिषदों के लिए 75:25 तथा नगर पंचायतों के लिए 90:10 के अनुपात में किया जायेगा, Dovetailing/Convergence की धनराशि निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्रोतों से सम्बन्धित गाइडलाइन्स में अनुमन्यता के आधार पर परियोजनान्तर्गत व्यय/वहन की जायेगी।

3.4 परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में कुल धनराशि रू0 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था नयी मांग के माध्यम से करायी जा रही है।

3.5 परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग चिन्हित स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट सिटी, मिशन निदेशालय स्तर पर गठित PMC/TSG द्वारा प्रदान किया जायेगा।

3.6 परियोजनाओं एवं उनकी डी0पी0आर0 आदि का अनुमोदन संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य प्रभारी स्थानीय निकाय एवं अधिशासी अधिकारी होगे।

4. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर–02 एवं 03 में अंकित निर्णयों के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त डी0पी0आर0/प्रस्ताव तैयार कर मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

A.K @ Smart -go-20

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, अमृत/एस0बी0एम0, उत्तर प्रदेश।
3. संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0)।
4. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

A.K.डी Sinah -go-20